

29.6.22

वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद जाखड ने यह दावा न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ जिला सीकर

19²/₂₂

पत्रावली वादी के खिलाफ तलबी आदेश पर तलब होकर फेरा हुई। वादी के प्रत्येक पत्र प्रस्तुत कर दिखे पर रिपोर्ट दी वादी दावा आगे चलाया नहीं करता है कारण दावा विद्वान रिपोर्ट आये। वादी की पक्ष में करीबन वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद जाखड कर की गई। वादी के आदेश पर दावा विद्वान करके के आदेश दिखे जाये है पत्रावली के लिए शुभान होकर नम्बर के कर है।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ (सीकर)